



(2) जो दूर्लभ पाता था | 19-10-12
शुक्र

690
19-10-12

R - 1682-5113

- (1) दीनानाथ तिवारी तनय स्व. रामविलाश तिवारी उम्म 55 वर्ष पेखा रब्रेती
 - (2) राजेन्द्र प्रसाद तिवारी तनय स्व. रामविलाश तिवारी उम्म 45 वर्ष, पेशा खेती
 - (3) भगौतिया देवी बेवा स्व. रामविलाश तिवारी उम्म-70 वर्ष घरकार्य, कृषि सभी निवासी ग्राम लौआ, तहसील सिहाबल, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)
- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री देवी प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम लौआ, तहसील सिहाबल, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

(13)

SC
95/4/13

---गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश व्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक 329/निगरानी/08-09 आदेश दिनांक 10/07/12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

1. यह कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी उत्तरवादी के ससुर ददन राम व निगरानीकर्ता 1/2 हिस्से एवं रामतेज, ऋषि केश, रामप्रसाद तनय रामदयाल, मु. छोहरिया बेबा रामदयाल 1/2 हिस्से के भूमि स्वामी थे, इनसब भूमिस्वामियों के बीच वर्ष 1994-95 तक विधिवत वटवारा न होने के कारण भूमि की आपसी व्यवस्था मुताविक काश्त कर रहे हैं। इसी अनुसार विवादित भूमि के अंश क्षेत्र 0.35 एकड़ पर निगरानीकर्ता काबिज दाखिल है इसी आराजी के अंश रक्खे पर निगरानीकर्ता घर बनाकर आवाद है, माकान

दीनानाथ तिवारी

3. नान सदस्य १०० का जोड़ रीके लागिनरी नहीं हो सका
4. वास्ते अंतिम तर्क।
वेशी तारीख..... 14.5.15

25

आज्ञा से

रीडर

14-5-15

अवृत्त ना-को-के के बाहर आवेदन
नहीं। अवृत्त भागीदार श्री-शुश्राव शुबला
उपलेखन। अवृत्त ना-को के बाहर आवेदन लगाए
गए, लेकि वापसीत नहीं। अवृत्त के बाहर
उपलेखन नहीं। अवृत्त शहो विभाग के बाहर
उपलेखन के रायमें उपलेखन लिया गया है। अवृत्त
वापसीत नहीं परन्तु उपलेखन लिया गया है।

शास्त्रमुखा—321—फॉर्म—21-9-2012—10,000.

15/4/15
अवृत्त
NP
14-5-15
14/5/2015
12/6/15
(वापसीत नहीं)

12/6/15
NP
14-5-15
14/5/2015
12/6/15
(वापसीत नहीं)